तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5/11/19

[illegible]
आज — [illegible] पत्रावली पर
[illegible] 7/11/19 को पेश होकर

7/11/19

अभि० वादी व प्रेटेकार सत्कार उपस्थित।
वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम सं० 80 हुल किला 9 रकबा 13.45 है० वाके ग्राम मण्डा तहसील रोडाएमसिंह में स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। उक्त आराजियात में वादी का नाम कानसिंह पुत्र विक्रमसिंह दर्ज है जो गलत है। वादी का सही नाम व वास्तविक नाम भगवान सिंह पुत्र विक्रमसिंह है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलती से नाबालिग अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद फौत विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय सहवन से कानसिंह का अंकन दर्ज कर दिया जो कानून गलत है। उक्त नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी मय 13-14 साल का था। वादी राजस्व रिकार्ड में कानसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र विक्रमसिंह दुरुस्त करवाने का कानून अधिकारी है। वादी उक्त आराजियात में अपना नाम कानसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र विक्रमसिंह दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। जिस बाबत वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 2/7/2019 को निवेदन किया तो मना कर दिया जिस पर यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वाके ग्राम मण्डा तहसील रोडाएमसिंह में कानसिंह पुत्र विक्रमसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र विक्रमसिंह दुरुस्त फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कराया जावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की गयी। प्रतिवादी सं० 1 को जवाब हेतु पर्याप्त खर्चा दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया तथा प्रतिवादी सं० 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिस पर कार्यवाही एकतरफा की गयी।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं० 80 जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम मण्डा प्रदर्श 1, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अलिमारी प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्र फल प्रदर्श 2,

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नकल जमाबंदी सम्वत् 2053-56 प्रदर्श 3, सम्वत 2039 से 2042 प्रदर्श 4, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेंस, अंक तालिका 8 वीं बोर्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किये तथा बयानात वादी भगवानसिंह, गवाह दिलीप सिंह, किशनलाल, लाखू गुर्जर, के करवाये।

बहस सुनी गयी जो मुख्य रूप से वाद पत्र के अनुसार रही। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी का कथन है कि उसका सही नाम भगवानसिंह है जबकि विरासत का नामान्तरकरण किया उस समय ही कानसिंह कर दिया गया जो गलत है। कानसिंह पुत्र विक्रमसिंह नाम आज तक चला आ रहा है। विरासत के समय वादी मात्र 13-14 साल का ही था। जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खतौनी सं० 80 वाके मण्डा प्रदर्श 1 से जाहिर है कि कानसिंह पुत्र विक्रमसिंह अंकित है। विक्रमसिंह के फौत होने पर नामान्तरकरण सं० 12 दि० 11.6.92 से मिसल स्वीकार होकर जमाबंदी सम्वत् 2039 से 2042 प्रदर्श 4 में भी कानसिंह ही दर्ज है। जाहिर है कि मिसल के समय ही नाम भगवानसिंह नहीं लिखकर कानसिंह दर्ज हो गया। अंक तालिका 8 वीं बोर्ड में वादी की जन्म 02/01/1991 दर्ज है। प्रदर्श 4 के अनुसार दि० 11.6.92 को नामान सं० 12 स्वीकृत हुआ है। जाहिर है कि विरासत के समय वादी मात्र 1½ वर्ष का ही था। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम कानसिंह नहीं होकर भगवान सिंह अंकित है। जाहिर है कि सही नाम भगवान सिंह है। वादी वादग्रस्त आराजी में उक्तानुसार दुरुस्ती करवाने का कानूनन हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेजात व गवाहान के बयानात भी वाद पत्र की ताईद करते है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी सं० 80 जमाबंदी सम्वत् 2074-77 वाके ग्राम मण्डा तहसील रोडाएमसिंह में कानसिंह पुत्र विक्रमसिंह के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र विक्रमसिंह दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष सभी अंकन बमस्तूर रहेंगे। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से खारिज हो। हुक्म सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी रोडा